पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक-01-12-2024

जोन पश्चिमी /थाना ठाकुरगंज

- **वादिनी/पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने व गाली-गाली गलौज करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा अवगत कराया गया कि वह एस0के0वाई0 हास्पिटल में उसके साथ काम करने वाले निखिल उपरोक्त नें उसके साथ दुराचार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है वादिनी द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में एस0के0वाई0 हास्पिटल के मालिक कमलेश अग्रवाल व राजेश अग्रवाल से शिकायत की तो उनके द्वारा अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया।

वादिनी की शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 565/24, धारा- 64(1)/75(3)/351(3)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी । पुलिस टीम द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त निखिल कुमार उपरोक्त को आज दिनांक 01.12.2024 को भूहर पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्त वादिनी मुकदमा के साथ एस0के0वाई0 हास्पिटल लालाबाग में कार्यरत था ।

नाम पता अभियुक्त–

01-निखिल कुमार पुत्र श्री रामेन्द्र कुमार नि0- हलुआपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0- 565/24, धारा- 64(1)/75(3)/351(3)/351(2)/352 बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री बैजनाथ सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री मनुज कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. का0 सुनील कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक- 01.12.2024

जोन- पश्चिमी/ थाना सआदतगंज

- **01 शातिर चोर/अभियुक्त को चोरी के मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.11.2024 को वादी श्री मो0 अहसान रैन पुत्र मो इस्लाम रैन निवासी 348/308 भदेवा साबिक थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मोबाइल चोरी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-212/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग उपरोक्त में अज्ञात अभियुक्त की तलाश पतारसी सुरागरसी व माल की बरामदगी हेतु थाना सआदतगंज से पुलिस टीम गठित की गयी।

आज दिनांक 01.12.2024 को थाना सआदतगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर उक्त मोबाइल चोरी करने वाले व्यक्ति को खिन्नी तिराहे का पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनसे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मोहम्मद फैय्याज पुत्र जाल मोहम्मद उर्फ जान मोहम्मद निवासी वजीरबाग चरही निकट हरी मस्जिद थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र 41 वर्ष बताया। जिनके पास से 01 अदद एन्ड्राइड फोन SAMSUNG-S21 FE जो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित था, बरामद हुआ। उक्त मोबाइल के बारे में पूछा गया तो बताया कि इस मोबाइल फोन को मैने लगभग 12-13 दिन पहले गाजी पैलेस कैम्पल रोड में हो रहे शादी समारोह से चोरी कर लिया था जिसको आज मै अपने खर्चे हेतु बेच रहा था कि आपने पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्ति मोहम्मद फैय्याज उपरोक्त को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया ग। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01-मोहम्मद फैय्याज पुत्र जाल मोहम्मद उर्फ जान मोहम्मद निवासी वजीरबाग चरही निकट हरी मस्जिद थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र 41 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01- मु0अ0सं0 212/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सआदतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल IMEI NO. 353896233401980 व 358943153401988

गिरफ्तार करने वाली टीम के अधिकारी/कर्म0गण का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश सिंह थाना सआदतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2.उ0नि0 हैप्पी दिवारकर थाना सआदतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3.का0 कार्तिकेय सिंह थाना सआदतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

4.का0 मंगलदेव यादव थाना सआदतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांक-01-12-2024

जोन दक्षिणी/थाना मोहनलालगंज

- **मोहनलालगंज पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया**
- **अभियुक्त ओम प्रकाश ने 4.3 लाख रुपये लेकर फर्जी रजिस्ट्री कर भूमि बेचने का अपराध किया था**
- **वादिनी हाला फरीदी की शिकायत पर मामला दर्ज कर अभियुक्त की तलाश शुरू की गई थी**
- **पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किसान पथ के पास से अभियुक्त को सुबह 10:30 बजे गिरफ्तार किया**
- **पुलिस टीम की सतर्कता और समन्वय से फरार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के थाना मोहनलालगंज पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले वांछित अभियुक्त ओम प्रकाश (58 वर्ष), निवासी निगोहा, को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 4.3 लाख रुपये लेकर फर्जी कागजात तैयार कर ग्राम वीरसिंहपुर स्थित भूखंड की फर्जी रजिस्ट्री करवाई। इसके पहले भी अभियुक्त ने इसी भूमि की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दी थी।

यह मामला 11 मई 2024 को वादिनी हाला फरीदी द्वारा दर्ज कराया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने साठगांठ करके उनके साथ धोखाधड़ी की। इस शिकायत के आधार पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 187/24 धारा 419, 420, 406, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना में ओम प्रकाश का नाम सामने आया, जो लगातार फरार चल रहा था। अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

रविवार 1 दिसंबर 2024 को, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त किसान पथ के पास रायबरेली रोड पर मौजूद है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को सुबह करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

गिरफ्तारी अभियान में उपनिरीक्षक साजिद अली और ललित कुमार सिंह के साथ कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ और संदीप ने प्रमुख भूमिका निभाई।